

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/1605

दिनांक - 05/07/15

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 हिदायत पुत्र शेर खां
जाति मुसलमान निवासी
तिरसिंगड़ी तहसील व जिला
बाड़मेर।


1 अली पुत्र तमाची खां 2 आरब खां पुत्र सुमार खां 3
सलीमत पत्नी करीम खां 4 शरीफा पत्नी गाजी खां 5
रमदान पुत्र सखी जाति मुसलमान निवासी तीरसिंगड़ी
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 48/2019

दिनांक- 04/07/15

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श बस्ती पटवार क्षेत्र विशाला तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 1142/705 रकबा 15.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्यवाही करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगड़ी
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।



(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2019/1606-09

दिनांक- 05/07/15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हिदायत पुत्र शेर खां जाति मुसलमान निवासी तिरसिंगड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी अली पुत्र तमाची खां वगैराह जाति मुसलमान निवासी तिरसिंगड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर